पंचायत निगरानी संख्या : 472/2024
उनवान : रुपेन्द्र सिंह बनाम स्व. बागसिंह के का.मु. अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 472/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/612

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

रुपेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत, निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली राज.

1. स्व. बागसिंह पुत्र मोड़सिंह के का.मु. वारिसः–
   - 1.1 नरेश सिंह पुत्र बागसिंह
   - 1.2 सुरेन्द्रसिंह पुत्र बागसिंह
   - 1.3 प्रेमसिंह पुत्र बागसिंह
   - 1.4 भंवर कंवर पुत्री बागसिंह
   - 1.5 रुकमण कंवर पुत्री बागसिंह
   - 1.6 संतोष कंवर पुत्री बागसिंह
   - 1.7 विलीया कंवर पुत्री बागसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली राज.
2. सरपंच, ग्राम पंचायत मुण्डारा, पंचायत समिति बाली, जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत मुण्डारा के पट्टा क्रमांक 74 दिनांक 17.01.2013 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण भण्डारी।

–:निर्णयः–

दिनांकः 29.05.2026

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा जारी पट्टा संख्या 74 दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 472/2024
उनवान : रुपेन्द्र सिंह बनाम स्व. बागसिंह के का.मु. अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

17.01.2013 को निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मुण्डारा, ग्राम पंचायत मुण्डारा पंचायत समिति बाली, जिला पाली राज. जूणा रोड़ पर प्रार्थी के दादा गोरधनसिंह व उनके भाई केसरसिंह जी के कब्जाशुदा, मालिकाना हक के मकान व प्लोट आया हुआ है। जिसके पड़ौस में पश्चिम दिशा की तरफ अप्रार्थी बागसिंह पुत्र मोड़सिंह का प्लोट मकान आया हुआ स्थित है एवं पूर्व दिशा में स्व. करणसिंह के वारिस हिम्मतसिंह, गणपतसिंह, नारायणसिंह के मकान भूखण्ड आये हुये है। बागसिंह, प्रार्थी एवं करणसिंह के वारिसान के मकानों के दरवाजे दक्षिण दिशा की तरफ मुण्डारा से जूणा जाने वाले मुख्य रोड़ पर खुलते है ओर मौके पर सभी मकानों के दरवाजे दक्षिण दिशा की तरफ वर्षों से खुले हुये है। जो सभी के मकान 50 फीट या 54 फीट चौडे व 128 फीट के लगभग लम्बे आये हुये है। जिन सभी मकान प्लोटो का एकमात्र रास्ता दक्षिण दिशा की तरफ खुला हुआ है। इन मकानों के बीच में कोई गली कभी भी स्थित नही रही है। प्रार्थी के दादा प्रतापसिंह जी के दो पुत्र गोरधनसिंह व केसरसिंह थे जिनकी मृत्यु हो गयी है। गोरधनसिंह के पुत्र मदनसिंह जी व मदनसिंह का पुत्र प्रार्थी रुपेन्द्रसिंह है। प्रार्थी अपने पिता के साथ रहते हुए अपने मकान का उपयोग व उपभोग कर रहा है। जो करीब 25 फीट चौडा है तथा प्रार्थी के मकान के पश्चिम दिशा में स्व. केसरसिंह जी के वारिसान का 25 फीट चौड़ाई में मकान बना हुआ है। प्रार्थी के व स्वर्गीय केसरसिंह जी के वारिसान के मकान का दरवाजा भी दक्षिण दिशा की तरफ इस प्रकार दोनो मकाने के बीच में कोई गली मौके पर नहीं है न ही कभी छोडी गयी है। प्रार्थी के पिता व दादा के मकान का ग्राम पंचायत से कोई पट्टा बना हुआ नहीं है। इसी प्रकार केसरसिंह के नाम से या इनके पुत्रों के नाम से कोई पट्टा बना हुआ नहीं है। ग्राम पंचायत से मिलावट कर अप्रार्थी बागसिंह पुत्र मोडसिंह अपने मकान का पट्टा संख्या 74 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में तारीख 17.01.2013 को बना दिया जिस बारे में प्रार्थी या उसके परिवार वालो को कोई जानकारी कभी नही रही है। बागसिंह ने अपने पट्टा संख्या 74 के बीच पूर्व दिशा की तरफ 15 फीट गली ग्राम पंचायत से लिखा दी जबकि मौके पर कभी भी गली नहीं रही है। हाल ही मे बागसिंह के पुत्र प्रेमसिंह ने प्रार्थी के कब्जाशुदा पुश्तैनी मकान के बीच में गली बना देंगे। इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा कि बीच में गली है इस बारे में आपके पास किया सबूत है तब उन्होंने अपने पिता बागसिंह के नाम का पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.2013 को बताते हुए कहा कि उपरोक्त पट्टा में गली दर्शायी गयी है। जिस पर प्रार्थी को सर्व प्रथम अप्रार्थी बागसिंह को गलत व गैर कानूनी रुप से पट्टा बनाने की जानकारी हुयी जिस पट्टे के विरुद्ध उपरोक्त निगरानी निम्न आधारों पर पेश है:–

1. यह कि पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.2013 विधि विरुद्ध एवं कानून के विरुद्ध जारी किया गया है जो काबिल खारिज है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली. जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 472/2024
उनवान : रुपेन्द्र सिंह बनाम स्व. बागसिंह के का.मु. अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

2. यह कि प्रार्थी के परदादा प्रतापसिंह व अप्रार्थीगण के दादा मोड़सिंह जी सगे भाई थे जिनके पहले बाडे आईदानपुरा जूणा रोड मुण्डारा में आये हुये थे बाद में आबादी विस्तार के साथ इन्होंने मुण्डारा रोड पर 50 फीट चौडे व 128 फीट लम्बे प्लोट बनाकर मकान बनाये एवं सभी मकानों के दरवाजे दक्षिण दिशा की तरफ से मुण्डाा से जूणा जाने वाले मुख्य सडक की तरफ रखे जहां पीढियों से प्रार्थी व अप्रार्थीगण आना जाना करते हुये अपने मकान एवं प्लोट का उपयोग उपभोग कर रहे है।
3. यह कि प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जाशुदा मकान के पड़ौस पश्चिम दिशा की तरफ अप्रार्थीगण के पिता ने अपने कब्जे के भूखण्ड मकान का पट्टा ग्राम पंचायत से मिलावट कर बाले बाले जारी करवा दिया एवं उसमें गलत रुप से बीच में गली बता दी जबकि मौके पर आज दिन तक कभी भी कोई गली नही रही है। बावजुद इसके अपने नाम बनवाये गये पट्टा संख्या 74 में पूर्व दिशा की तरफ उम्मेदसिंह, गली शैतानसिंह का पड़ौस लिख दिया जबकि शैतानसिंह व उम्मेदसिंह का संयुक्त मालिकाना हक का प्लोट आया हुआ है। जिसके बीच में कोई गली नहीं है। इस प्रकार पट्टा जैर निगरानी गलत व गैर कानूनी रुप से जारी किया गया है। जो काबिल खारिज है।
4. यह कि ग्राम पंचायत में अप्रार्थी बागसिंह द्वारा पेश कब्जा शुदा पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने जो प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें गली स्पष्ट रुप से बाद में लिखना प्रतीत होता है। अगर गली होती तो बागसिह के मकान के बीच में भी स्पष्ट रुप से गली लिखे ओर उसका मकान भी दो बन्ट में पट्टा बनाया जाता। बागसिंह द्वारा अपने मकान को उत्तर से दक्षिण 54 फीट व पूर्व में पश्चिम 128 फीट भी लिखा है जो गलत है जबकि मौके पर पूर्व से पश्चिम 128 फीट का कोई मकान प्लोट बाघसिंह का कब्जाशुदा नहीं रहा है तथा उत्तर से दक्षिण 54 फीट बताया गया है जबकि उत्तर से दक्षिण 54 फीट जगह नहीं होकर ज्यादा है। इस प्रकार पट्टा जैर निगरानी मौके की भौतिक स्थिति के विपरित नाप का बनाया गया है जो काबिल खारिज है।
5. यह कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत बने गये नियमों के तहत प्रार्थना पत्र पट्टा बनाने बाबत पेश किया जाता है जिसमें पट्टे की लम्बाई, चौडाई व उसके साथ नक्शा पेश किया जाना जरुरी होता है लेकिन बागसिंह द्वारा ऐसा कोई नक्शा या नाप पट्टा बनाने के प्रार्थना पत्र में नहीं लिखे ह। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियम 146 में गठित वार्ड पंच की कमेटी द्वारा मौके निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का प्रावधान है एवं नक्शा बनाकर पेश करवाने का नियम है लेकिन वार्ड पंचों ने मौका देखकर कोई नक्शा नहीं बनाया एवं नक्शे पर किसी भी वार्ड पंच के हस्ताक्षर नही है। पत्रावली में जो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर लिख हुये है उसमें किसी के हस्ताक्षर नहीं है एवं जो नक्शा पत्रावली में पेश किया गया है उसमें पूर्व से पश्चिम 128 फीट व उत्तर से दक्षिण 54 फीट प्लोट बताया गया है जबकि इस नाप का आज भी मौके पर कोई प्लोट बाघसिंह

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

के वारिसान के पास नहीं है। इस प्रकार पट्टा बनाने बाबत तमाम कार्यवाही एक ही दिन तक पिछली तारीखों में की गयी होना प्रतीत होता है जिस कारण भी पट्टा जैर निगरानी काबिल खारिज है।

6. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा धारा 148 में आक्षेप आवंटन करने का नोटीस जारी किया गया है लेकिन नोटीस चस्पा नहीं किया गया हो ऐसा कोई पृष्ठाकंन नोटीस पर नहीं है। इससे भी साफ जाहिर है कि आक्षेप किसी प्रकार के आमंत्रित ही नही किये गये है। आक्षेप आमन्त्रण के नोटीस में भी भूखण्ड के कोई नाप लिखे हुये नहीं है। इससे भी साफ जाहिर है कि पट्टे की पत्रावली में तमाम कार्यवाही बाले बाले व गैर कानूनी की जाकर पट्टा गैर सायल के नाम गलत व झूठा मौके की स्थिति के विपरित जारी किया गया है।

7. यह कि पट्टा जैर निगरानी नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है जिस बाबत पंचायत द्वारा पट्टा बनाने के नियम 146 से 156 तक की कार्यवाही पंचायत द्वारा नहीं की गयी है एवं जो की गयी है वह भी नियमों के विपरित की गयी है साथ ही मौके पर भौतिक रुप से अप्रार्थी का प्लोट उत्तर दक्षिण लम्बा है व पूरब पश्चिम चौडा है जबकि पूरी पत्रावली में नक्शें में नाप गलत लिख गये है साथ ही अप्रार्थी के भूखण्ड में कोई गली नहीं दर्शाकर केवल खुद के भूखण्ड के आगे गली बतायी गयी है जबकि ऐसी कोई गलती मौके पर ही है जिस कारण भी पट्टा जैर निगरानी काबिल निरस्तनीय है।

8. यह कि पट्टा विलेख जिन नियमों के तहत जारी किया गया है उससे सम्बन्धित पंचायत राज अधिनियम/नियमों में नियम 140 आबादी भूमि की परिभाषा है। नियम 141 भूमि के विक्रय से संबंधित है नियम 143 आबादी क्षेत्र में भूखण्डो का निलाम किये जाने का प्रावधान किया गया है परन्तु ग्राम पंचायत ने इस वादग्रस्त पट्टा विलेख को निष्पादन करते समय इस नियम की पालना नहीं की है। नियम 145 क्रय के लिये आवेदन से संबंधित है जिसमें पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण विवरण मय नाप व पड़ौस के लिखना कानूनन जरुरी था आवेदन पेश करते समय स्थल निरीक्षण के रुपये जमा करवाकर रसीद देने के बाद इस मामले में कोई निरीक्षण किसी भूमि का नहीं किया गया था इसी कारण स्थल निरीक्षण के बाद स्थल निरीक्षण का नक्शा तैयार किया जाता है जो नियम 146 के तहत किया जाना जरुरी है। उस रजिस्टर में प्राप्त आवेदन पर सचिव स्थल निरीक्षण करेगा एवं अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत को पेश की जायेगी इस प्रकार स्थल निरीक्षण के पंचायत नियम 147 हेतु अन्तिम विनिश्चय के लिये पंचायत बोर्ड में पत्रावली पेश की जाती है उसके बाद नियम 148 में नोटीस प्रकाशित आपत्तियों बाबत किया जाता है जो नोटीस प्रस्तावित भूमि के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा की जाकर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने का नियम हैं उसके बाद नियम 149 के तहत आक्षेपों का निपटारा व बाद में नियम 150 के तहत भूमि का निलाम किया जाना, नियम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

151 में निलाम समिति एवं नियम 152 में बाजार किमत पर भूमि विक्रय जारी करने के नियम है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातीचत द्वारा आबादी भूमि के अन्तरण का प्रावधान है। जिसमें उप नियम 1 अनुसार पंचायत किसी आबादी भूमि को प्राईवेट बातचीत द्वारा विक्रय के जरिये निम्न लिखित मामलों में अन्तरित कर सकेंगी। (क) जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो ओर निलामी से उचित किमत प्राप्त नहीं हो सकती हो। (ख) जहां कोई अतिचार हो यान लेखबद्ध किये जाने किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि निलाम उस भूमि के निवृतन का सुविधाजनक ढंग नहीं होगा। (ग) जहां तक नियम 144 के उप नियम 1 व 2 के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो ओर कोई एक ही आवेदक हो तो ग्राम पंचायत उस नियम के तहत विक्रय विलेख जारी करने की अधिकारिणी है। इन नियमों के तहत जारी करने वाले आज्ञापक प्रावधानों व नियमों की पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई जिस कारण भी विवादग्रस्त पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.2013 अवैध व शून्य होने से काबिल खारिज है।

9. यह कि वादग्रस्त पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.2013 की आड में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को आज से करीब एक माह पूर्व धमकी दी एवं कहा की बीच में रास्तों छोड दो अन्यथा जेसीबी मशीन से रास्ता बना देंगे। जिस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से अप्रार्थीगण के नाम पट्टा जारी करने की पत्रावली की नकल की मांग की जो ग्राम पंचायत द्वारा देने से मना कर दिया। प्रार्थी के पास पूर्व में पट्टे की नकल थी जिसके आधार पर उक्त निगरानी पेश की जा रही है। एवं पत्रावली तलब करवायी जाकर उसमें ग्राम पंचायत द्वारा बरती गयी अनियमितता स्पष्ट रुप से प्रकट हो जायेगी। प्रार्थी को पट्टे की जानकारी होते ही बिना किसी देरी के उपरोक्त निगरानी अन्दर अवधिकाल पेश की जा रही हैं। अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी पट्टा प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध है जिस पर कोई म्याद लागु नहीं होती है लेकिन इस निगरानी में कानूनी म्याद लागु नही होती है लेकिन इस निगरानी में कानूनी म्याद का कोई विवाद नही है जिस कारण प्रार्थीगण की तरह से 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत का पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.2013 को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम की ओर से निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:-

1. पद संख्या 01 का यह जवाब है कि प्रार्थी ने एक रिविजन याचिका अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 07 के विरुद्ध इस अमर की प्रस्तुत कि है की ग्राम पंचायत मुण्डारा में जूणा रोड पर प्रार्थी के दादा गोरधनसिंह व उसके भाई केसरसिंह की कब्जाशुदा मालिकाना हक हकूक का एक मकान व प्लोट आया हुआ स्थित है जिसके पड़ौस में पश्चिम दिशा की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 472/2024

उनवान : रुपेन्द्र सिंह बनाम स्व. बागसिंह के का.मु. अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तरफ अप्रार्थी बागसिंह पुत्र मोड़सिंह का प्लोट मकान आया हुआ स्थित है। एवं पूर्व दिशा में स्व. कारणसिंह के वारिस हिम्मतसिंह, गणपतसिंह एवं नारायणसिंह के मकान भूखण्ड आये हुये स्थित है। बागसिंह, प्रार्थी एवं करणसिंह के वारिसानों के मकानो के दरवाजे दक्षिण दिशा की तरफ मुण्डारा से जूणा जाने वाले मुख्य रोड़ पर खुलते हैं और मौके पर सभी मकानों के दरवाजे दक्षिण दिशा की तरफ वर्षों से खुल्ले हुए है जो सभी के मकान 50 फीट या 54 फीट चौडे व 128 फीट के लगभग लम्बे आये हुए हैं जिन सभी मकान प्लोटो का एकमात्र रास्ता दक्षिण दिशा की तरफ खुल्ला हुआ है उन मकानों के बीच में कोई गली कभी भी स्थित नहीं रही है प्रार्थी के दादा प्रतापसिंह व उनके दो पुत्र गोरधनसिंह के पुत्र मदनसिंह व मदनसिंह का पुत्र प्रार्थी रुपेन्द्रसिंह है। प्रार्थी अपने पिता के साथ रहते हुए अपने मकान का उपयोग व उपभोग कर रहा है जो करीब 25 फीट चौड़ा है तथा प्रार्थी के मकान के पश्चिम दिशा में स्व. केसरसिंह के वारिसान का 25 फीट चौड़ाई में मकान बना हुआ है। प्रार्थी के व स्व. केसरसिंह के वारिसान के मकान का दरवाजा भी दक्षिण दिशा की तरफ इस प्रकार दोनो मकानो के बीच में कोई गली मौके पर नहीं है, न कभी छोडी गई है। प्रार्थी के पिता व दादा के मकान का ग्राम पंचायत से कोई पट्टा बना हुआ नहीं है इस प्रकार केसरसिंह के ना से या उनके पुत्रो के नाम से कोई पट्टा बना हुआ नहीं है। ग्राम पंचायत से मिलावट कर अप्रार्थी बागसिंह पुत्र मोड़सिंह ने अपने मकान का पट्टा संख्या 74 प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2013 में तारीख 17.01.2013 को बनाया जिस बारे में प्रार्थी या उसके परिवार वालो को कोई जानकारी कभी नहीं रही हैं। बाघसिंह ने अपने पट्टा संख्या 74 के बीच पूर्व दिशा की तरफ 15 फीट गली ग्राम पंचायत से लिखवा दी जबकि मौके पर कभी भी गली नहीं रही हैं। बागसिंह के पुत्र प्रेमसिंह ने प्रार्थी के कब्जाशुदा पुश्तैनी मकान के बीच में गली छोडने को कहां एवं धमकी दी कि या तो गली छोडो अन्यथा जे.सी.बी. मशीन लाकर बीच में गली बना देगें। इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा कि बीच में गली है इस बारे में आपके पास क्या सबूत है तब अप्रार्थी ने कहा कि बागसिंह के नाम का पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.2013 को बताते हुए कहां कि उपरोक्त पट्टा में गली दर्शाइ हैं जिस पर प्रार्थी को सर्वप्रथम अप्रार्थी बागसिंह ने ग्राम पंचायत मुण्डारा से सन् 2013 में पट्टा संख्या 74 जारी करवाया गया था। प्रार्थी को उक्त पट्टा खारिज करवाने का विधिक रुप से कोई अधिकार नहीं है तथा इस बारे में प्रार्थी की क्या लोकस स्टेण्डाई हैं यह तथ्य प्रार्थी को साबित करना है। प्रार्थी के पिता मदनसिंह अभी तक जीवित है तथा मदनसिंह के जीवित रहते हुए प्रार्थी को उक्त रिवीजन याचिका प्रस्तुत करने का व पट्टा संख्या 74 खारिज करवाने का कानूनन रुप से कोई हक व अधिकार नहीं है। जिससे प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत रिविजन याचिका उपरोक्त आधारों पर अस्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 472 / 2024

उनवान : रुपेन्द्र सिंह बनाम स्व. बागसिंह के का.मु. अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

2. यह हैं कि प्रार्थी ने पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.2013 की रिविजन याचिका विधि विरुद्ध एवं कानून के विरुद्ध प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी को उक्त रिवीजन याचिका प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है तथा केवल मात्र को आपसी वैमनश्यता के आधार पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध रिवीजन याचिका प्रस्तुत की है तथा कोई भी सारभूत आधार याचिका में नहीं लिये गये हैं जिससे भी रिवीजन याचिका अस्वीकार किये जाने योग्य है।

3. यह है कि अप्रार्थीगण के पिता बागसिंह ने ग्राम पंचायत मुण्डारा से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में विधिवत रुप से पट्टा जारी करवाया है तथा ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा सभी नियमों का पूर्ण रुप से पालन किया गया हैं तथा तत्कालीन सरपंच व उप सरपंच ने तथा वार्ड पंच ने पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही करने के पश्चात अपने हस्ताक्षर किये है। तथा ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा अप्रार्थी बागसिंह को पट्टा जारी करने में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई हैं। तथा बागसिंह को जो पट्टा ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा जारी किया हुआ हैं उसके नाप व पड़ौस निम्न हैः–

   उत्तर मेंः सुकी कलाल पत्नी भीकाराम कलाल

   दक्षिण में आम रास्ता व दरवाजा

   पूर्व में उम्मेदसिंह गली शैतानसिंह

   पश्चिम मेंः– भरतसिंह व दलपतसिंह

   उपरोक्त मकान भूखण्ड उत्तर से दक्षिण 128 फीट लम्बा व पूर्व से पश्चिम 54 फीट चौड़ा हैं। जो कुल क्षेत्रफल 6912 वर्गफीट है।

4. यह है कि ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा बागसिंह के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है उक्त पट्टे के पूर्व में 15 फीट की गली छोडी गई उक्त गली का निजी उपयोग अप्रार्थीगण व उसके परिवार वाले कदीम से करते हुए आ रहे हैं तथा उक्त गली को अवरुद्ध करने, बंद करने व अवैध निर्माण कार्य करने का प्रार्थी एवं उसके परिवार वालो व अन्य को कोई हक व अधिकार नहीं है तथा प्रार्थी एवं उसके पिता मदनसिंह एवं नारायणसिंह पुत्र करणसिंह के द्वारा उपरोक्त 15 फीट की गली में अवरोध करने से अप्रार्थी प्रेमसिंह की ओर से एक वाद पत्र व प्रार्थना पत्र श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय जी बाली के न्यायालय में मदनसिंह व नारायणसिंह के खिलाफ प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी प्रेमसिंह के द्वारा प्रस्तुत स्टे प्रार्थना पत्र के आधार पर श्रीमान सिविल न्यायाधीश द्वारा अप्रार्थी प्रेमसिंह द्वारा प्रस्तुत पट्टे को मानते हुए आदेश पारित किया तथा श्रीमान न्यायालय ने दिनांक 05.07.2024 को विस्तृत आदेश पारित किया गया तथा न्यायालय ने अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्टयां मानते हुए यह निष्पक्ष किया कि उक्त जायदाद के पट्टे के पूर्व दिशा में 15 फीट गली छोडी हुई है तथा न्यायालय ने पट्टे को प्रथमदृष्टया एक वैध दस्तावेज माना है तथा इस संबंध में प्रार्थी के द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं तथा पूर्वी तरफ के 15 फीट रास्ते को गलत रुप से दर्शाया गया हैं एवं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 472/2024

उनवान : रुपेन्द्र सिंह बनाम स्व. बागसिंह के का.मु. अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

उनके द्वारा उक्त पट्टे के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अमल में लायी गई हो। इस बारे में प्रार्थी रुपेन्द्रसिंह के पिता मदनसिंह को ग्राम पंचायत द्वारा नोटीस भी जारी किया गया है तथा इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टे की प्रति व नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी के पास दक्षिण की तरफ एक रास्ता मौजूद है इससे यह नहीं कहां जा सकता कि प्रार्थना पत्र में वर्णित 15 फीट का रास्ता एकमात्र रास्ता है तथा प्रार्थी ने व नारायणसिंह ने उपरोक्त गली के रास्ते को अवरोध कर दिया व प्रथम दृष्टया मामला मौके की यथास्थिति बनाये रखने की हदतक अप्रार्थी प्रेमसिंह के पक्ष में बनना पाया गया तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी अप्रार्थी प्रेमसिंह के पक्ष में पाया गया तथा अप्रार्थी प्रेमसिंह के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा इस अ मर की जारी की गई थी अप्रार्थी नारायणसिंह को ताफैसला मूल वाद मौके यथा स्थिति इस आशय से बनाये रखे कि जायदाद के पूर्वी तरफ दर्शाये गये 15 फीट के रास्ते पर किसी प्रकार की निर्माण सामग्री व कांटे इत्यादि डाले तथा उसके बाद में एक वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रार्थी रुपेन्द्रसिंह के पिता मदनसिंह के विरुद्ध भी प्रस्तुत किया गया दोनों वाद पत्र की विषय वस्तु एक है तथा उक्त प्रार्थना पत्र के आदेश में भी बागसिंह के द्वारा प्रस्तुत पट्टे को सही मानकर आदेश जारी किया गया जिस आदेश दिनांक 05.07.2024 की फोटोकॉपी जवाब के साथ सलंग्न है।

5. यह कि पद संख्या 05 प्रार्थना पत्र का यह जवाब है कि अप्रार्थीगण के द्वारा व उनके पिता के द्वारा नियमों के तहत प्रार्थना पत्र पट्टा बनाने हेतु प्रस्तुत किया था तथा अप्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित नाप के अनुसार पंचायत द्वारा मौका मुआयना कर विधिवत रुप से प्रस्ताव पारित कर प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत पट्टा बनाने की कार्यवाही की गई थी तथा उपरोक्त कार्यवाही कर ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा दिनांक 17.01.2013 को अप्रार्थीगण के पिता बाघसिंह के नाम पट्टा जारी किया गया तथा उसी नाप के अनुसार कब्जा सुपूर्द किया गया उपरोक्त पट्टा बनाने के पूर्व ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंच ने विधि अनुसार मौका मुआयना कर अप्रार्थीगण के पिता प्रेमसिंह को 128 फीटा बाई 54 फीट यानि कुल 6912 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया तथा इस पट्टे के पूर्व में 15 फीट की गली छोडी गई जो गली आज भी मौके पर मौजूद है तथा उपरोक्त पट्टे पर सरपंच, उपसरपंच व वार्डपंच के हस्ताक्षर हैं तथा पट्टाधारी बाघसिंह के हस्ताक्षर है जो पट्टा पंचायत नियमों के तहत बनाया गया हैं तथा उपरोक्त पट्टा नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया हैं। जिस पट्टे के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है तथा विधि अनुसार पट्टा होने से पूर्व में अप्रार्थीगण के पिता बाघसिंह व वर्तमान में अप्रार्थीगण का कब्जा आज दिन तक शांतिपूर्वक चला आ रहा हैं व मौके पर काबिज है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 472/2024

उनवान : रुपेन्द्र सिंह बनाम स्व. बागसिंह के का.मु. अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

6. यह कि पद संख्या 06 प्रार्थना पत्र का यह जवाब है कि ग्राम पंचायत द्वारा धारा 148 में आक्षेप आवंटन करने का नोटीस जारी किया गया तथा विधि अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही की गई जिसे प्रार्थी ने बिना किसी आधारों पर पट्टा निरस्त करने का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया हैं तथा पंचायत द्वारा सम्पूर्ण नियमों की पालना की गई हैं।
7. यह कि पद संख्या 07 प्रार्थना पत्र का यह जवाब है कि उपरोक्त पट्टा जैर निगरानी नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है तथा उपरोक्त नियम के अन्तर्गत पंचायत द्वारा सभी नियमों का पालन किया गया है व पंचायत द्वारा मौके पर नाप तोल करने के पश्चात पट्टा जारी किया गया हैं जिसे प्रार्थी के द्वारा वर्णित तमाम तथ्य निराधार व झूठे हैं। प्रार्थी को प्रथम दृष्टया उपरोक्त पट्टा खारिज करवाने का विधिक रुप से कोई अधिकार नहीं है तथा प्रार्थी ने किस हैसियत से उपरोक्त पट्टा निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो प्रार्थी स्वयं साबित करे।
8. यह है कि पद संख्या 08 प्रार्थना पत्र का यह जवाब है कि उपरोक्त पट्टा नियमों के तहत जारी किया गया हैं तथा संबंधित पंचायत राज अधिनियम/नियमों के तहत जारी किया गया हैं तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित नियम 141 भूमि के विक्रय से संबंधित है व नियम 143 आबादी क्षेत्र में भूखण्डों का निलाम किये जाने का प्रावधान हैं उपरोक्त नियम 141 व 143 इस प्रार्थना पत्र में लागू नहीं होते हैं तथा नियम 145 अवश्य ही क्रय के लिए आवेदन से संबंधित हैं लेकिन उपरोक्त पट्टा प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत गांवो के लोगो को सहायता प्रदान कर पट्टा जारी किया जाता है तथा प्रार्थी के द्वारा वर्णित नियम इस प्रार्थना पत्र में लागू नहीं होते हैं केवल मात्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से व बिना किसी हेतुक के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो बिना किसी लोकल स्टेण्डाई के प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।
9. यह कि पद संख्या 09 प्रार्थना पत्र का यह जवाब है कि अप्रार्थीगण के पिता को उपरोक्त पट्टा जारी होने के पश्चात् व उस पर विधिवत कब्जा करने के पश्चात उपरोक्त पट्टे के पूरब में जो 15 फीट की गली छोडी गई हैं उसका उपयोग व उपभोग अप्रार्थीगण एवं आस पड़ौस वाले करते हैं तथा उपरोक्त पट्टे के आधार पर अप्रार्थी प्रेमसिंह द्वारा एक वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पिता मदनसिंह व नारायणसिंह के खिलाफ श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय बाली के न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा उपरोक्त पट्टे के विधिवत रुप से मानते हुए सिविल न्यायाधीश बाली ने दिनांक 05.07.2024 को अप्रार्थी प्रेमसिंह के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद मौके की यथास्थिति इस आशय से बनाये रखे कि प्रार्थी के पट्टे के पूर्वी तरफ दर्शाये गये 15

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 472/2024

उनवान : रुपेन्द्र सिंह बनाम स्व. बागसिंह के का.मु. अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

फीट के रास्ते पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, ना ही उस किसी प्रकार की निर्माण सामग्री, काटे इत्यादि डाले तथा उल्टे प्रार्थी, उसके पिता मदनसिंह व नारायणसिंह द्वारा लगातार धमकिया दी जाती रही है तथा प्रार्थी को उपरोक्त पट्टा ग्राम पंचायत से बनने की जानकारी सन् 2013 से है जिससे प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अप्रार्थीगण संख्या 01 के कायम मुकाम की ओर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, अस्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी याचिका के साथ एक प्रार्थना पत्र वास्ते याचिका प्रस्तुत करने में हुई देरी के उपशमन हेतु प्रस्तुत किया है। चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु कोई अवधिसीमा निर्धारित नहीं है, अतः प्रार्थी द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रासंगिक करार दिया जाता है।

ग्राम पंचायत मुण्डारा से प्रकरण का मूल रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया तथा अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ प्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा जारी पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.2013 नियमों एवं वास्तविक स्थिति के विपरित जारी किया गया है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित पट्टे की चर्तूर्दिशा में पूर्व दिशा में गली एवं पड़ौस अंकित किया गया है, जबकि वास्तविक स्थिति में उक्त भूमि के पूर्व में शैतानसिंह एवं उम्मेदसिंह की भूमि स्थित है तथा उसके आगे प्रार्थी का मकान निर्मित है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थी पक्ष के समस्त भूखण्ड एक ही कतार में स्थित है तथा उनके प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पट्टे में पूर्व दिशा में गली अंकित किया जाना तथ्यात्मक रुप से गलत है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि पट्टे हेतु प्रस्तुत आवेदन में प्रारम्भिक रुप से पूर्व दिशा में गली अंकित नहीं थी, जिसे बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने निरीक्षण कार्यवाही को भी त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट पर केवल दो पंचों के हस्ताक्षर हैं, जबकि नियमानुसार तीन पंचों की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर आवश्यक थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने तर्क दिया कि विवादित पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत जारी किया गया, जबकि पट्टे का क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि आवेदन प्राप्ति से लेकर निरीक्षण, संस्तुति एवं पट्टा निर्गमन तक की समस्त कार्यवाही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 472/2024

उनवान : रुपेन्द्र सिंह बनाम स्व. बागसिंह के का.मु. अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

एक ही दिन अर्थात् 17.01.2013 को सम्पन्न कर दी गई, जो सामान्य एवं विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुरुप नहीं है। अतः उक्त आधारों पर विवादित पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम की ओर से वक़्त बहस निवेदन किया कि जिस गली को लेकर विवाद उत्पन्न किया गया है, उसके संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी पारित किया जा चुका है। अतः उक्त विषय पर वर्तमान कार्यवाही में विचार किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रार्थी रुपेन्द्रसिंह को वर्तमान याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार (Locus Standai) प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनके पिता मदनसिंह जीवित है और यदि किसी का अधिकार प्रभावित होता है तो वह उनके पिता का है, न कि प्रार्थी का। साथ ही विवादित पट्टा राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान विधिवत रुप से जारी किया गया था तथा पट्टा जारीकरने की संपूर्ण प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई है। इसलिए मात्र प्रार्थी द्वारा लगाये गए आरोपों के आधार पर इतने पुराने पट्टे को निरस्त किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा। अतः निगरानी याचिका को निराधार मानते हुए खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा निगरानी याचिका एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के उपबन्धान्तर्गत प्रस्तुत की गई है। उक्त धारा 97 में यह प्रावधान है कि:–

(1)राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।

परन्तु राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो।

(2) राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाले ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश के निष्पादन पर, उसके सम्बन्ध में उप–धारा (1) के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने तक, रोक लगा सकेगी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 472/2024
उनवान : रुपेन्द्र सिंह बनाम स्व. बागसिंह के का.मु. अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

(3)राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर, किसी भी समय, उप धारा (1) के अधीन आदेश पारित किये जाने के नब्बे दिन के भीतर–भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानतावश, पारित किया गया हो, उपधारा (1) के परन्तुक और उप–धारा (2) में अन्तर्विष्ट इस उप–धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

उक्त अधिनियम 1994 की धारा 97 के सरसरी अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा किसी पंचायतीराज संस्था के आदेश, निर्देश अथवा कार्यवाही को उक्त धारा 97 के उपबन्धान्तर्गत चुनौति देने हेतु उस व्यक्ति का 'हितबद्ध' पक्षकार होना एक पूर्वशर्त है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका के सलंग्न एक पृथक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय में अपने पैतृक पुश्तैनी कब्जा शुदा मालिकाना हक के मकान के पश्चिम दिशा में स्थित अप्रार्थीगण के पैतृक पुश्तैनी कब्जा शुदा भूखण्ड का पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.2013 को अप्रार्थीगण के पिता ने ग्राम पंचायत से मिलावट कर बनवा लिया है। जिस पट्टे में बिना किसी आधार अधिकार के पट्टे में पूर्व दिशा में यानि मुझ प्रार्थी के पैतृक पुश्तैनी मकान की तरफ गली 15 फीट दर्शाई गयी है जिस गलत रुप से दर्शायी गयी गली की आड में अब अप्रार्थीगण गली को खोलने पर उतारु हैं। मौके पर आज दिन तक कोई गली नहीं रही है ओर गलत रुप से पट्टे मे लिखाई गयी गली को खुला करवाया जाता है तो मुझ प्रार्थी व मेरे परिवार को असुविधा होगी व हमारे मकान के एक भाग के दो टुकडे हो जायेगें ऐसी स्थिति में मुझ प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिस कारण जैर निगरानी पट्टे के बीच में गली लिख देने से में एक प्रभावित पक्षकार हू जिस कारण उक्त पट्टे को निरस्त करवाने हेतु मुझ प्रार्थी ने निगरानी पेश की है। चूंकि अप्रार्थीगण जैर निगरानी पट्टे की आड में प्रार्थी को मौके से बेदखल कर सकते है जिस कारण प्रार्थी प्रभावित पक्षकार होने से उक्त निगरानी को पेश किये जाने की स्वीकृति प्रार्थी को दी जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रभावित पक्षकार होने से निगरानी पेश किये जाने की स्वीकृति प्रार्थी को दी जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्र में अंकित आधारों का खण्डन करते हुए अप्रार्थीपक्ष ने अपने जवाबपत्र के पद संख्या एक में यह अंकन किया कि प्रार्थी के पिता मदनसिंह अभी तक जीवित है तथा मदनसिंह के जीवित रहते हुए प्रार्थी को उक्त रिवीजन याचिका प्रस्तुत करने का कानूनी रुप से कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका के माध्यम से स्व. बागसिंह के पक्ष में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 74 दिनांक 17.01.2013 को प्रमुखतः इस आधार पर चुनौति दी है कि प्रार्थी का मकान जैर निगरानी पट्टा विलेख से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 472/2024
उनवान : रुपेन्द्र सिंह बनाम स्व. बागसिंह के का.मु. अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

सम्बन्धित भूखण्ड की पूर्व दिशा में स्थित है तथा आलोच्य पट्टा विलेख में मौके की भौतिक स्थिति के विपरित एक गली दर्शायी गई है, जो कि त्रुटिपूर्ण व तथ्यहीन अंकन है।

पत्रावली के गहन अवलोकन उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि प्रथमतः, प्रार्थी द्वारा स्वयं के भूखण्ड या मकान के सम्बन्ध में न तो कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया है और न ही मौके की भौतिक स्थिति को दर्शाते हेतु कोई नजरी नक्शा ही पेश किया है। द्वितीयतः अप्रार्थीगण ने अपने जवाबपत्र में यह अंकित किया है कि विवादित गली के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1/3 श्री प्रेमसिंह एवं प्रार्थी के पिता श्री मदनसिंह के मध्य एक सिविलवाद लम्बित है एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक़्त सुनवाई इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया। अर्थात् यह स्वीकार्य स्थिति है कि प्रार्थी के पिता श्री मदनसिंह एवं अप्रार्थी श्री प्रेमसिंह के मध्य समान विषयवस्तु पर एक सिविलवाद लम्बित है तथा उक्त श्री मदनसिंह के जीवित होते हुए भी उनके पुत्र अर्थात प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में भी विचाराधीन याचिका के रुप में एक पृथक व समानान्तरण कार्यवाही संस्थित की गई है। यदि प्रार्थी ज़ैर निगरानी पट्टा विलेख से संबंधित भूखण्ड के पड़ौस में स्वयं का मकान होने के आधार पर स्वयं को प्रभावित पक्षकार होना प्रस्तुत किया है, तो उस भूखण्ड पर प्रार्थी के पिता अर्थात श्री मदनसिंह अवश्य प्रभावित पक्षकार हो सकते है किन्तु श्री मदनसिंह के जीवित रहते उनके पुत्र को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता, ऐसा न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है।

साथ ही, ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख में पूर्व दिशा में अंकित गली की वस्तुस्थिति, भौतिक अवस्थिति तथा उसके वास्तविक उपयोग एवं सुखाधिकार सम्बन्धि तथ्य साक्ष्य सुनवाई एवं ज़िरह इत्यादि के आधार पर सिविल न्यायालय द्वारा ही अभिनिर्धारित किये जा सकते है एवं इस सम्बन्ध में उभयपक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय में वाद कार्यवाही पूर्व से ही विचाराधीन है।

संक्षेप में, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में उपबन्धित प्रावधानों की पूर्वापेक्षा में प्रार्थी स्वयं को हस्तगत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु 'हितबद्ध व्यक्ति' सिद्ध करने में असफल सिद्ध हुआ है। अतः विचाराधीन पंचायत निगरानी याचिका खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड संबंधित ग्राम पंचायत को लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली (पाली)